

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

तैयब


बनाम

जैतून

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर|48

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
07.07.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआरवी के खाता संख्या 111/110 की कुल 3.5420हैक्ठूम भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश भूमि पैमाईश व खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 15.09.2022 को पेश हो।</p> <p align="right">  सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> 15/9/22 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् वी.ओ. साहब श्रीमान् वी.ओ. साहब पत्रावली क्रि. 16/12/22 को पेश हो। </p> <p> 16/9/22 वकील वादी उपस्थित। सम्मन उपस्थित नहीं। भावांग लागू नहीं। गार्ड गलत नतीजा उपस्थित और नो ही उसकी ओर के होई रजिस्ट्र उपस्थित। अतः सम्मन व वकील वादी के उपस्थित नहीं। भाग पर प्रकरण रुफ्त एजरी व रुफ्त पेशी में पारित किया जाता है। पत्रावली क्रि. 16/12/22 से काम होकर सम्मन दर्ज हो। </p> <p align="right"> उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) </p>	